

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 88/2022 JP फा

1. महेन्द्र देवीलाल उकीर श्री मोगरा खेडा - करेडा - काठे
प्रार्थी.....

बनाम

1. दुर्गा देवी रामलाल बुपरि श्री मोगरा खेडा - करेडा - काठे
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 28/3/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोगरा खेडा पटवार हल्का मोगरा खेडा तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या आराजी नम्बर 526 527 532 600 607 769/428 770/322 831/428 850/321 851/321 852/321 853/321 854/321 855/321 856/321 857/321 858/321 859/321 860/321 861/321 862/321 863/321 864/321 865/321 866/321 867/321 868/321 869/321 870/321 871/321 872/321 873/321 874/321 875/321 876/321 877/321 878/321 879/321 880/321 881/321 882/321 883/321 884/321 885/321 886/321 887/321 888/321 889/321 890/321 891/321 892/321 893/321 894/321 895/321 896/321 897/321 898/321 899/321 900/321 901/321 902/321 903/321 904/321 905/321 906/321 907/321 908/321 909/321 910/321 911/321 912/321 913/321 914/321 915/321 916/321 917/321 918/321 919/321 920/321 921/321 922/321 923/321 924/321 925/321 926/321 927/321 928/321 929/321 930/321 931/321 932/321 933/321 934/321 935/321 936/321 937/321 938/321 939/321 940/321 941/321 942/321 943/321 944/321 945/321 946/321 947/321 948/321 949/321 950/321 951/321 952/321 953/321 954/321 955/321 956/321 957/321 958/321 959/321 960/321 961/321 962/321 963/321 964/321 965/321 966/321 967/321 968/321 969/321 970/321 971/321 972/321 973/321 974/321 975/321 976/321 977/321 978/321 979/321 980/321 981/321 982/321 983/321 984/321 985/321 986/321 987/321 988/321 989/321 990/321 991/321 992/321 993/321 994/321 995/321 996/321 997/321 998/321 999/321 1000/321

कुल किता. 10 रकबा. 1996

हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/3/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... पटवार हल्का..... तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर 526 527 532 600 607 769/428 770/322 831/428 850/321 851/321 852/321 853/321 854/321 855/321 856/321 857/321 858/321 859/321 860/321 861/321 862/321 863/321 864/321 865/321 866/321 867/321 868/321 869/321 870/321 871/321 872/321 873/321 874/321 875/321 876/321 877/321 878/321 879/321 880/321 881/321 882/321 883/321 884/321 885/321 886/321 887/321 888/321 889/321 890/321 891/321 892/321 893/321 894/321 895/321 896/321 897/321 898/321 899/321 900/321 901/321 902/321 903/321 904/321 905/321 906/321 907/321 908/321 909/321 910/321 911/321 912/321 913/321 914/321 915/321 916/321 917/321 918/321 919/321 920/321 921/321 922/321 923/321 924/321 925/321 926/321 927/321 928/321 929/321 930/321 931/321 932/321 933/321 934/321 935/321 936/321 937/321 938/321 939/321 940/321 941/321 942/321 943/321 944/321 945/321 946/321 947/321 948/321 949/321 950/321 951/321 952/321 953/321 954/321 955/321 956/321 957/321 958/321 959/321 960/321 961/321 962/321 963/321 964/321 965/321 966/321 967/321 968/321 969/321 970/321 971/321 972/321 973/321 974/321 975/321 976/321 977/321 978/321 979/321 980/321 981/321 982/321 983/321 984/321 985/321 986/321 987/321 988/321 989/321 990/321 991/321 992/321 993/321 994/321 995/321 996/321 997/321 998/321 999/321 1000/321

कुल किता. 10 रकबा. 1996

हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

PP88/2022
2022/162

उपखण्ड अधिकारी
करेडा जिला-भीलवाडा